International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at http://euroasiapub.org/journals.php
Vol. 6 Issue 12, December 2016
ISSN: 2249-7382 Impact Factor: 6.225 | Thomson Reuters ID: L-5236-2015

मनुस्मृति में नारी सम्मान की अवधारणा

डॉ. सोमेश कुमार सिंह
व्याख्याता – इतिहास
शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय
सवाई माधोपुर, राजस्थान

भाोध सारां ा :–मनुस्मृति प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक ग्रन्थ है। इसकी रचना कब और किस युग मे हुई थी। इसकी स्पष्ट जानकारी हमे प्राप्त नहीं होती। मनुस्मृति तत्कालिन भारत के समाज तथा कानून की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। मनु ने स्त्री समाज के बारें में काफी लिखा है। स्त्रियों के अधिकार, सम्मान के बारें में उन्होने समाज का मार्गदर्शन किया है। वे समाज से आशा करते है कि वे स्त्री का सम्मान करें तथा उसके अधिकार उसे प्रदान करें।

शब्द कुंजी :– मनुस्मृति, स्त्री, नारीअधिकार, प्राचीन।

प्रस्तावना :– मनुस्मृति भारत के सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद के अनुसार मनु मानव जाति के पिता हैं[1] मनु से पैदा होने के कारण ही हम मानव कहे गए। ऋग्वेद की एक ऋचा में प्रार्थना है कि हम मनु के मार्ग से कहीं विचलित न हो जाएं, साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत में सर्वप्रथम यज्ञ मनु द्वारा ही किया गया था।[2] हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं तथा लगभग 2685 श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या अलग–अलग संस्करणों में अलग अलग है। श्लोकों की संख्या में अन्तर के कारण ही बहुत से विद्वानों का मानना है कि मनुस्मृति के बहुत से श्लोकों की रचना बाद के काल की है। मूल मनुस्मृति से उन श्लोकों का कोई लेना–देना नहीं है।

मनुस्मृति का रचनाकाल कब का है? यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हरगोविंद शास्त्री ने मनुस्मृति पर प्राचीन टीका मेघातिथि को माना है। वह मेघातिथि का समय 825 से 900 मानते हैं।[3] इसके बाद 12 वीं शताब्दी में कुल्लूक भट्ट ने टीका लिखी है। तन्त्रवार्तिका में कुमारिल ने मनु स्मृति को सबसे प्राचीन कहा है। महाकवि शुद्रक ने अपने ग्रंथ मृच्छकटिक में मनु का उद्धरण दिया है।[4] स्पष्ट है कि द्वितीय तृतीय शताब्दी के संस्कृतग्रंथ कार मनुस्मृति के उद्धरण अपने ग्रन्थों में देने लगे थे। मनु ने कुछ स्थानों पर भारत की बाहर की जातियों के उल्लेख किए हैं। इन जातियों में शक, पल्वह, कंबोज, यवन जैसी जातियां सम्मिलित है। यवन, कम्बोज व गांधार लोगों का उल्लेख अशोक के पांचवे प्रस्तर शिलालेख में भी आया है। स्पष्ट इन जातियों का संबंध ई0 पू0 के भारत से

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at http://euroasiapub.org/journals.php
Vol. 6 Issue 12, December 2016
ISSN: 2249-7382 Impact Factor: 6.225 | Thomson Reuters ID: L-5236-2015

है अतः मनुस्मृति की रचना ई0पू0 की किन्ही शताब्दीयों में हुए होगी। अपने अनेक तर्कों के आधार पर बीपी काने मनुस्मृति को महाभारत से भी प्राचीन मानते हैं।[5] स्पष्ट है कि मनुस्मृति का निश्चित काल खंड ढूंढ पाना मुश्किल है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में मनुस्मृति का उल्लेख है। इस आधार पर हम इतना मात्र कह सकते हैं कि स्मृति भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में से एक है और इसका रचनाकाल भी अत्यंत प्राचीन है।

भारतीय इतिहास के कुछ इतिहासकार प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति को दयनीय बताते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य व स्मृति के कुछ श्लोकों के माध्यम से ये इतिहासकार प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को दयनीय बताने का प्रयास करते हैं। जबकि वास्तविकता है कि भारतीय समाज नारी का सम्मान करता था तथा नारी के अपमान की वो कल्पना भी नहीं करता था।

प्राचीन वैदिक साहित्य में हमें महिलाओं की स्थिति अत्यंत सम्माननीय दिखाई देती है। उसकी स्थिति पुरुषों के समकक्ष ही थी। उन्हें विवाह, शिक्षा, संपत्ति के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण निष्ठा व श्रद्धा का था। भारतीय उसे मां, पत्नी, बहन, वधू, के रूप में सम्मानीय मानते थे। अविवाहित कन्याएं भी समाज में पूजित थी। स्त्री के बिना पुरुष अपूर्ण माना जाता था। यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक होता था। शास्त्रकारों का मानना था कि केवल पुरुष कोई वस्तु नहीं, अर्थात वह है अपूर्ण है, किंतु स्त्री, स्नेह तथा संतान ये तीनों मिलकर ही पुरुष,(पूर्ण) बनाती है।[6] स्त्री पुरुष के लिए अर्धांगिनी थी। उसके आगमन से ही पुरुष के सौभाग्य का उदय होता था। वह परिवार की श्री यानी लक्ष्मी थी। उसके बिना परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती थी। हिंदू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी पूजनीय सम्मानीय थी। पुरुषों की तुलना में वह किसी भी स्थिति में हीन नहीं थी। शिक्षा व संस्कार के द्वार उनके लिए खुले थे। वह समाज की गौरव थी तथा समाज का सम्मानिय अंग थी। पति के साथ मिलकर वह घर के याज्ञिक कार्यों को संपन्न करती थी।[7] वस्तुतः स्त्री व पुरुष रथ के जुड़े दो बैल थे।[8] वेदिक युगीन नारी पुरुषों के समान ही शिक्षित भी थी। पुरुषों की भांति ही वह ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी। शिक्षित स्त्री पुरुष ही विवाह योग्य माने जाते थे।[9] हमें ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं जो जीवनपर्यन्त आश्रमों में रहकर अध्ययन करती थी। ब्रह्मवादिनी नारी के लिए विवाह अनिवार्य नहीं था। पुरुषों की तरह वह भी आजीवन शास्त्रों का अध्ययन करते हुए गुरुकुल में रह सकती थी।

स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय समाज स्त्री पुरुषों में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता था। परंतु मनुस्मृति के कुछ श्लोंकों के आधार पर इतिहासकारों का यह मत है कि प्राचीन काल में स्त्री स्वतंत्र नहीं थी। वह पुरुष के नियंत्रण में थी तथा उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध आरोपित थे। इन विद्वानों का मानना है कि मनु नारी विरोधी थे। वे नारी को

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at http://euroasiapub.org/journals.php
Vol. 6 Issue 12, December 2016
ISSN: 2249-7382 Impact Factor: 6.225 | Thomson Reuters ID: L-5236-2015

वे अधिकार नहीं देना चाहते थे जो कि उनको मिलने चाहिए थे। परंतु कतिपय इतिहासकारों का यह मत सही नहीं है। किसी भी ग्रंथ तथा उसके लेखक के व्यक्तित्व का मुल्यांकन वर्तमान युग को दृष्टिगत रखते हुए नहीं किया जा सकता। उसका मूल्यांकन युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मनुस्मृति की रचना काल के युग में भारत पर विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे तथा विदेशी आक्रमणकारियों की संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ने लगा था। एक जागरूक, सजग चिंतक होने के नाते मनु भारत की सामाजिक परंपराओं को खण्डित नहीं होने देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि आक्रान्ताओं की संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज व परिवार पर पड़े। संभवतः इसी कारण विदेशी संस्कृति से भारतीय समाज को बचाने के लिए वे कुछ प्रतिबंधों की बात करते हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य नारी के समग्र विकास को रोकना नहीं बल्कि विदेशी प्रभाव से भारतीय संस्कृति को बचाए रखने का था। मनु इस बात के प्रति अत्यंत सजग है कि कतिपय प्रतिबंधों के कारण नारी के सम्मान व श्रृद्धा में कोई कमी समाज में ना आए। उसी कारण वे ''यंत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता'' का उद्घोष कर पुरुष प्रधान व्यवस्था को यह चेतावनी भी देते हैं कि वह भूलकर भी नारी प्रतिबंधों दुरुपयोग ना करें और नारी को यथेष्ट सम्मान करें। वे उसे पूर्व युग की भांति ही पूजनीय माने। मनु का यह चिंतन ही उन्हें नारी अधिकारों, स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक सिद्ध करता है। नारी के प्रति अगाध श्रद्धा के कारण ही मनु उनके अधिकारों के बारे में सजग है। वे उसे संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार तथा व्यक्तिगत मामलों स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

मनुस्मृति वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें नारी को देवत्व रूप प्रदान करते हुए समाज को आदेशित किया गया है कि वह नारी का अपमान कदापि न करें। मनु की नजरों में नारी भोग्या नहीं अपितु पूजनीय है। मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस कुल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, आभूषण तथा मधुर वचन द्वारा आदर सत्कार) होती है उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहां सभी कर्म निष्फल होते हैं[10] स्पष्ट है कि मनु यह अच्छी तरह जानते थें कि शारीरिक रूप से स्त्री पुरुष से कमजोर है अतः पुरूष की मानसिकता में जब तक नारी सम्मान नहीं होगा तब तक नारी प्रताड़ित हो सकती है। अतः वह पुरूष समाज को स्पष्ट आदेश देते हैं कि वे स्त्री का अनादर कभी न करें। इसी तरह परिवार के पुरुष सदस्यों को भी मार्ग निर्देशित करते हैं कि यदि वे अपना कल्याण चाहते हैं तो विवाह के बाद भी कन्या का पूजन करें तथा वस्त्राभूषण से उसे अंलकृत करें।[11] पिता, भाई, पति, देवर जैसे पारिवारिक सदस्य विवाहित नारी के प्रति अपने कर्तव्यों विलग न हो। विवाह के उपरांत भी नारी उसी सम्मान की हकदार है जिस सम्मान की विवाह के पूर्व। मनु का विचार है कि वस्त्र आभूषण के द्वारा स्त्री के प्रसन्न होने पर वह सम्पूर्ण कुल सुशोभित होता है तथा स्त्री के प्रसन्न नहीं होने पर वह संपूर्ण कुल मलिन हो जाता है।[12] मनु पारिवारिक दायित्वों में पति , पत्नी के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at http://euroasiapub.org/journals.php
Vol. 6 Issue 12, December 2016
ISSN: 2249-7382 Impact Factor: 6.225 | Thomson Reuters ID: L-5236-2015

कर्तव्यों पर भी लिखते है। पति पत्नी के सम्बन्ध अच्छे होंगे तो परिवार भी अच्छा होगा। अच्छे परिवार के संचालन हेतु वे पति पत्नी की संतुष्टि पर विशेष ध्यान देते हैं। वे कहते हैं कि जिस कुल से स्त्री से पति तथा पति से स्त्री संतुष्ट रहती है उस कुल का हमेशा कल्याण होता है।[13] मनु अच्छी तरह जानते थे कि असंतुष्ट पति–पत्नी कभी समाज का भला नहीं कर सकते। अतः मात्र वे पति की संतुष्टि की बात न कह कर दोनों की संतुष्टि की बात कहते हैं ताकि पारिवारिक संतुलन बना रहे तथा परिवार में शांति बनी रहे। मनु के ऊपर नारी विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। परंतु मनुस्मृति के बहुत से श्लोक यह सिद्ध करते हैं कि मनु न केवल नारी समर्थक थे बल्कि नारी अधिकारों के प्रति सजग थे। मनु समाज को निर्देशित करते हैं कि वे नारी का नामकरण गरिमा पूर्ण तरीके से करें।

वे लिखते हैं कि स्त्रियों के नाम सुखपूर्वक, उच्चारण योग्य, स्पष्ट अर्थ वाला, मनोहर, मंगल सूचक तथा अंत में दीर्घ स्वर वाला और आशीर्वाद से युक्त अर्थ वाला होना चाहिए।[14] स्पष्ट है मनु नारी के नामकरण के प्रति भी अत्यंत सजग है। वे नहीं चाहते कि मात्र पुरुष संतति का नाम ही अच्छा हो। वे चाहते हैं कि कन्या का नाम भी सम्मानजनक व शुभ अर्थों वाला हो।

नारी के अधिकारों की चर्चा करते हुए मनु समाज को आदेश देते हैं कि रथ पर बैठे हुए, 90 वर्ष की से अधिक आयु वाले, रोगी, बोझ लिए हुए स्त्री, स्नातक राजा, दूल्हा इत्यादि को मार्ग देना चाहिए।[15] मनु संकुचित नहीं है वह नारी की सीमाओं और उसकी शारीरिक स्थिति से भली–भांति परिचित है। अतः वह नारी को कुछ विशेष अधिकार भी देते हैं। विशेष परिस्थितियों में घर पर अतिथि के आगमन पर महिला के अधिकार कम नहीं होते। वे अतिथि से अधिक अधिकार नारी को देते हैं। वे निर्देश देते हैं कि नवविवाहिता, कुमारी, गर्भिणी, स्त्री इन्हें बिना विचारें अतिथियों से भी पहले भोजन कर लेना चाहिए।[16] स्पष्ट है कि मनु नवविवाहिता वधु, कुमारी तथा गर्भिणी स्त्री की मजबूरी को समझते थे। अतः इन्हें अतिथियों से पूर्व ही भोजन कर लेने की स्वीकृति वे देते है।

मनु स्त्री के विवाह संबंधी अधिकारों के प्रति अत्यंत सजग है। यद्यपि वे पिता से आशा करते हैं कि पिता अपनी एक कन्या का उचित समय पर विवाह करेगा। परंतु समाज में ऐसे भी लोग थे जो अपनी कन्या संबंधी कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में मनु कन्या को ही स्वयं विवाह करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि कन्या ऋतुमति होने पर 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद समान योग्यता वाले पति का स्वयं वरण करें।[17] मनु का यह आदेश निश्चित रूप से नारी को असीम अधिकार प्रदान करता है। वह ऐसे पिता जो किसी कारण अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, कन्या को स्वयं वर चुनने का अधिकार प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि यदि माता–पिता निश्चित समय के बाद भी कन्या का विवाह योग्य वर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at http://euroasiapub.org/journals.php
Vol. 6 Issue 12, December 2016
ISSN: 2249-7382 Impact Factor: 6.225 | Thomson Reuters ID: L-5236-2015

से नहीं करते तो कन्या को स्वयं अपना वर चुनने का अधिकार है। परंतु मनु इस बात से भी चिंतित नजर आते हैं कि कन्या का विवाह अयोग्य पात्र से ना हो जाए। वे मार्ग निर्देशित करते हैं कि स्त्री का विवाह योग्य वर से ही हो, किसी भी स्थिति में किसी अयोग्य वर से स्त्री का विवाह न किया जाए। वे यहां तक कहते हैं कि भले ही ऋतुमयी कन्या जीवन पर्यन्त पिता के घर पर ही रह जाए किंतु पिता उसे गुण विहिन वर का न सोपें। वे कहते हैं कि बड़े भाई की स्त्री का प्रतिदिन चरण स्पर्श कर अभिवादन करना चाहिए।[18] मनु भारतीय समाज में संतुलन बनाए रखते हुए स्त्री को भी बराबर का दर्जा देते हैं। पुरुष प्रधान समाज को चेतावनी देते हैं कि जिस कुल में जामि (स्त्री, पुत्र वधू, बहिन, भांजी, कन्या) शोक करती है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है और जिस कुल में शोक नहीं करती (प्रसन्न रहती है) उन्नति करता है।[19] यानी वे जानते थे कि स्त्री की प्रसन्नता में ही समाज का हित है। उसे दुःखी करके कोई भी परिवार सुखी नहीं हो सकता।

इस प्रकार मनुस्मृति के बहुत से श्लोक नारी को यथेष्ट सम्मान प्रदान करते हैं। समाज को निर्देशित करने वाले इस ग्रंथ में सामाजिक मर्यादा का पालन करने के साथ स्त्रियों को सम्मान देने का प्रयास किया है। मनु चाहते हैं कि समाज अपने पुरुषार्थों का पालन करें । समाज का प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। उसी कारण वे समाज के प्रत्येक वर्ग को दिशा निर्देश देते हैं। मनु के ग्रंथ में विदेशी जातियों का भी उल्लेख है। इन जातियों के भारत प्रवेश के बाद इसकी संस्कृति के प्रभाव को भारतीय समाज पर पड़ने से रोकना भी मनु के समक्ष चुनौती रही होगी। वे विदेशी प्रभावों से भारतीय समाज को बचाना चाहते थे। सम्भवतः इसी कारण वे कुछ नियमों की बात करते कहते हैं। परन्तु मनु किसी भी स्थिति में स्त्री विरोधी नहीं थे। वे राष्ट्र का समाज की उन्नति के लिए स्त्री को पर्याप्त अधिकार देते थें तथा समाज से यह आशा करते थे कि वह नारी को मात्र भोग की वस्तु न समझे। बल्कि नारी का सम्मान करें और उसे यथेष्ट सम्मान प्रदान करें।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1. ऋग्वेद, 1.80.16, मनुस्मृति, हिन्दी व्याख्याकार, पं0 हरगोविन्द शास्त्री चौखम्बा संस्थान, वाराणसी, पृष्ठ 6।
2. मनुस्मृति, वहीं पृष्ठ 6।
3. मनुस्मृति, वहीं पृष्ठ 9।
4. मनुस्मृति, वहीं पृष्ठ 9।
5. मनुस्मृति, वहीं पृष्ठ 11।
6. मिश्र जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली 1992, पृष्ठ 411
7. मिश्र, जयशंकर प्रसाद, वही पृष्ठ 412
8. शतपथ ब्राहम्ण 1.19, 2.14
9. अथर्ववेद 11.5.18
10. मनुस्मृति 3.56 हिन्दी व्याख्या पं0 हरगोविन्द शास्त्री, वहीं पृष्ठ 114
11. मनुस्मृति 3.55 वही, पृष्ठ 114
12. मनुस्मृति 3.62 वहीं पृष्ठ 115
13. मनुस्मृति 3.60, वहीं पृष्ठ 115
14. मनुस्मृति 2.33, वहीं पृष्ठ 44
15. मनुस्मृति 2.138, वहीं पृष्ठ 72
16. मनुस्मृति 3.144 वहीं पृष्ठ 128
17. मनुस्मृति 9.90 वहीं पृष्ठ 477
18. मनुस्मृति 2.132 अनु. हरगोविन्द शास्त्री पृष्ठ 70
19. मनुस्मृति 3.57 अनु. हरगोविन्द शास्त्री वहीं पृष्ठ 114